संख्या-95/2018/2252/24-1-18-81 पी/2015

प्रेषक:

इन्द्रराज सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कार्यवाहक निदेशक,
विद्युत सुरक्षा निदेशालय,
विभूति खण्ड, गोमतीनगर लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक** 7 **सितम्बर, 2018**

विषय:विद्युत सुरक्षा निदेशालय को वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में विद्युत सुरक्षा निदेशालय के अधिष्ठांन कार्यों के लेखाशीर्षक 2045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क-103-संग्रहण प्रभार- विद्युत शुल्क-03- विद्युत सुरक्षा निदेशालय'' के मानक मद-52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रूपये 1,95,00,000/- (रूपये एक करोड़ पन्चानबें लाख मात्र) स्वीकृत कर व्यय करने हेतु निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) उपरोक्त धनराशि का व्यय शासन द्वारा पूर्व निर्धारित नियमों/आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17.12.2003 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा तथा क्षेत्रीय/जोनल कार्यालयों के लिए धनराशि का तत्काल आवंटन कर शासन को अवगत कराया जायेगा।

2- उपरोक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि को वित्त वेतन आयोग अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016, शासनादेश संख्या-24/2017/वे0आ0-2-1149/दस-04(एम)/2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2017, तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2018 बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 के प्रस्तर-2(22) में दी गयी व्यवस्था एवं वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-5/2018/वे0आ0-2-330/दस-2018-04(एम) /2016, दिनांक 18 मई, 2018 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार धनराशि का आहरण किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्ष ''2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क-आयोजनेत्तर-103-संग्रहण प्रभार- विद्वुत शुल्क-03- विद्युत सुरक्षा निदेशालय'' के नामे डाला जायेग।

4- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन आहरण वितरण अधिकारी, विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

इन्द्रराज सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-95/2018/2252(1)/24-1-18, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।

2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद

3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/

6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

महावीर प्रसाद गौतम
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in